नगर पंचायत टाहलीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: पी सी एच-एच ए (3)/ 96- एन पी ऊना, शिमला -171009 दिनांक 09-09-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नंगल कलां को भंग करके नगर पंचायत टाहलीवाल बनाया गया। नगर पंचायत टाहलीवाल के अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक के लेखाओं का यह प्रथम अंकेक्षण है ।

(ख) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81 - फिन (एलoएo) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत टाहलीवाल के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 09.09.2015 से 31.3.2017 तक नगर पंचायत टाहलीवाल के प्रधान/प्रशासक व सचिव निम्नानुसार थे:-

i i) प्रधान

क्र0 सं0	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री धनवीर ठाकुर	प्रशासक (उप-मंडलाधिकारी, हरोली)	9-09-2015 से 17-02-2016
2	श्रीमती राजवीर कौर	प्रधान	18-02-2016 से अद्यतन

ii ii) प्रशासक/सचिव

क्र0 सं0	नाम		अवधि
1	श्री धनवीर ठाकुर	प्रशासक (उप-मंडलाधिकारी, हरोली)	9-09-2015 से 22-03-2016
2	श्रीमती वर्षा चौधरी	सचिव	23-03-2016 से अघतन

(ग) गम्भीर अनियामितताओं का सार :-

नगर पंचायत टाहलीवाल के अवधि 9-09-2015 से 31-03-2017 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियामितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र0 सं0	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि `₹ लाखों में
1	5.1	अनुदानों का व्यय हेतु शेष पाया जाना	57.85
2	6	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय	113.16
3	12	श्री अनिल कुमार, लिपिक को यात्रा भत्ता के रूप में अधिक भुगतान	0.12
4	14 (क)	गणना में त्रुटि के कारण श्रीमती सुनीता देवी, संविदाकार को अधिक एवम गलत भुगतान	0.23
5	14 (ख)	गणना में त्रुटि के कारण श्री वरुण कुमार, संविदाकार को अधिक एवम गलत भुगतान	0.40

6	14 (ग)	गणना में त्रुटि के कारण मैसर्ज नवदीप इलेक्ट्रिकल्स एंड सिविल इंजिनियर्स मैहतपुर को अधिक भुगतान	0.10
7	15	निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण वितीय हानि	0.07
8	16	तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों को निष्पादन करना	70.43
9	17	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की वसूली न करना	1.67
10	18	निर्माण कार्य बिलों से श्रम कर की कटौती न करना	1.38

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत टाहलीवाल के लेखाओं अवधि 9-09-2015 से 31-03-2017 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टेंट द्वारा दिनांक 31-07-2017 से 17-08-2017 तक टाहलीवाल में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	2/2016	शुन्य
2016-17	10/2016	12/2016

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत के अवधि 9-09-2015 से 3 1-03-2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवम निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹21600 आँका गया। सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162 दिनांक 7-08-2017 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया! उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी० एन० बी० टाहलीवालके बैंक ड्राफ्ट संख्या 552966 दिनांक 9-08-2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला-9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है।

4 वितीय स्थिति :-

नगर पंचायत टाहलीवाल के लेखाओं अवधि 09.09.2015 से 31.03.2017 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट -(क)** पर भी दिया गया है।

वर्ष 2015-16

	आरम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वंय स्त्रोत	0	22381	22381	0	22381
अनुदान	0	11163966	11163966	0	11163966

योग	**0**	**11186347**	**11186347**	**0**	**11186347**

वर्ष 2016-17

	आरम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वंय स्त्रोत	22381	795563	817944	0	817944
अनुदान	11163966	12831545	23995511	18210930.50	5784580.50
योग	**11186347**	**13627108**	**24813455**	**18210930.50**	**6602524.5**

बैंक समाधान विवरण :-

दिनांक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष:-= 6602524.50

जमा: - एच० डी० एफ० सी० बैंक खाता संख्या 50100129018630 द्वारा दिनांक 31-12-16

को ₹3118 व 31-03-2017 को ₹3089 दिया गया ब्याज, लेकिन दिनांक 31-03-2017 तक रोकड़ के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया = 6207

घटाव :- हस्तगत रोकड़ = 100

दिनांक 31.03.2017 को बैंक में सावधिक निबेश व बचत खाते में जमा शेष राशि= 6608631.5

(क) दिनांक 31-03-2017 को अन्तिम शेष का विवरण :---

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	2660001200000016	पी० एन० बी टाहलीवाल	1642291.5
2	50100129018630	एच० डी० एफ० सी० टाहलीवाल	316287
3	22300110045602	यू० को० बैंक टाहलीवाल	1600000
4	2660000101109325	पी० एन० बी टाहलीवाल	550053
5	पी. एन. बी. टाहलीवाल में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		2500000
		योग	**6608631.5**

4.1 सावधिक निवेश:-

दिनांक 31.03.2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित ₹2500000 का विवरण **परिशिष्ट -(ख)** पर भी दिया गया है ।

5 अनुदान:-

अंकेक्षण अवधि 9-09-2015 से 31-03-2017 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान राशियों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है। विस्तृत विवरण इस प्रतिवदेन के **परिशिष्ट -(ग)** पर भी दिया गया है ।

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2015-16	0	11163966	11163966	0	11163966
2016-17	11163966	12831545	23995511	18210930.5	5784580.50

5.1 अनुदान ₹57.85 लाख व्यय हेतु शेष:-

अंकेक्षण को **परिशिष्ट -(ग)** के अनुसार उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को गत वर्षों के अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों के रूप में से ₹5784580.50 व्यय हेतु शेष थी। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उदेश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

अत: अनुपयुक्त इस राशि को समयवध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त इस राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उदेश्यों एवम् लक्ष्यों पर समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

5.2 ₹182.11 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट-(घ)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वितीय वर्ष 2016-17 में ₹18210930.50 का व्यय किया गया दर्शाया गया है। लेकिन अनुदान की राशि जिन जिन उदेश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय की गयी है की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनांक, बिल/वाउचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

6 स्वीकृत बजट से ₹113.16 लाख का अधिक व्यय:-

नगर पंचायत टाहलीवाल का वितीय वर्ष 2016-17 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2016-17	68,95,000	18210930	11315930

स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई ₹11315930 का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग के अनुमोदन/स्वीकृति से व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

7 गृहकर :-

(क) दिनांक 31-03-2017 तक सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय-6 धारा-65 (क) के अनुसार "निर्माणों और भूमियों पर स्वामी द्वारा संदेय तथा ऐसे निर्माणों और ऐसी भूमियों के वार्षिक मूल्य का कम से कम 7.5% (साड़े सात प्रतिशत) व अधिक से अधिक 12.5% (साड़े बारह प्रतिशत) की दर से गृहकर नगर पालिका अधिरोपित करेगी"। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली नहीं की गई है। जबकि नगर पंचायत टाहलीवाल से

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा - 65 (क) के अनुसार 12.5% (साड़े बारह प्रतिशत) की दर से गृहकर वसूला जाना अनिवार्य था। अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -154 दिनांक 2-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युतर में सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 332 दिनांक 4-08-17 द्वारा सूचित किया कि सर्वेक्षण उपरान्त गृह कर लगा दिया जाएगा। उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी गृह कर हेतु सर्वेक्षण न करना गम्भीर अनियमितता है । अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -65 (क) के अनुसार गृहकर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सर्वेक्षण उपरान्त गृहकर की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सके ।

(ख) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) के अनुसार नगर पंचायत द्वारा करों व फीस को अधिरोपित न करनाः-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को नगर पंचायत अधिरोपित कर सकती है। लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय-6 धारा-66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को अधिरोपित नहीं किया गया। अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को अधिरोपित न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या -156 दिनांक 2-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युतर में सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 331 दिनांक 4-08-17 द्वारा सूचित कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा-66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस में से कुछ करों/फीस को अधिरोपित कर लिया गया है तथा अन्य करों को भी सदन में पारित करवाने उपरान्त अधिरोपित कर लिया जायगा। उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से अधिरोपित नहीं किया गया है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । अतः अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले गृह स्वामियों व दुकानदारों से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों /फीस को अधिरोपित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व नगर पंचायत टाहलीवाल की अपने स्त्रोतों की आय की स्थिति दयनीय होने के मध्यनजर रखते हुए परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत टाहलीवाल, नगर पंचायत के सदन द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अध्याय -6 धारा -66 (i) में वर्णित विभिन्न करों/फीस को अधिरोपित करने का प्रस्ताव पारित किया जाना अपेक्षित है, ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सके ।

8 **नगर पंचायत द्वारा चूल्हा टैक्स ₹0.14 लाख की वसूली करने बारे:-**

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में क्रमशः ₹13760 व ₹340 कुल ₹14100 की चुल्हा टैक्स की वसूली की गई। हिमाचल प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1994 में इस प्रकार के कर की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। अतः भविष्य में इस प्रकार की कोई वसूली न की जाये तथा वसूल की गई राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति लेकर इसका नियमितीकरण करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 **मोबाईल टावरों के स्थापना/नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना:-**

सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी० -(आई० टी०) 2005 / विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे ₹10,000 टावर स्थापना शुल्क तथा ₹5000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना आपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ोतरी करनी अनिवार्य है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या -155 दिनांक 2-08-17 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल से नगर पंचायत क्षेत्र में कितने मोबाईल टावर स्थित है, तथा मोबाईल टावरों के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई है की सूचना मांगी गई। जिसके प्रतियुतर में सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 330 दिनांक 4-08-17 द्वारा सूचित किया कि नगर पंचायत में मोबाईल टावरों की संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है व मोबाईल टावरों का विवरण प्राप्त करने उपरान्त वसूली कर ली जाएगी। उतर संतोषजनक नहीं है कयोंकि लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी मोबाईल टावर कम्पनियों से वसूली नहीं की गई है, जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी० -(आई० टी०) 2005/विविध दिनांक 22.08.2006 के अनुसार मोबाईल टावर कम्पनियों से वसूली न करने का औचित्य किया जाए व सरकार के निर्देशानुसार मोबाईल टावर कम्पनियों से निर्धारित दरों पर स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से आय प्राप्त हो सके ।

10 **शराब शुल्क की वसूली न करना :-**

सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 335 दिनांक 9-08-17 को उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार अवधि 9-09-15 से 31-03-17 तक के दौरान आबकारी एवम कराधान विभाग से नगर पंचायत क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई है। अतः सम्बन्धित विभाग से विक्रय की गई शराब की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख/आंकड़े अब एकत्रित कर के अपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

11 **विद्युत उपयोग कर की वसूली न करना :-**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० डी० (1) 9 /94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विधुत बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किये जाने का प्राबधान था। लेकिन सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 335 दिनांक 9-08-17 को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 9-09-15 से 31-03-17 तक के दौरान विधुत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यक

अभिलेख/आंकड़े सहित आगामी अंकेक्षण को आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाने सुनिश्चित किए जाए।

12 श्री अनिल कुमार, लिपिक को यात्रा भत्ता के रूप में ₹0.11 लाख का अधिक भुगतानः-

जांच के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग के आदेश संख्याः UD-H (A) (1) -1/2015 23507-510 दिनांक 18-03-2016 के अनुसार श्री अनिल कुमार, लिपिक को नगर परिषद संतोषगढ़ से नगर पंचायत टाहलीवाल में सप्ताह में दो दिन लिपिक का कार्य करने हेतु नियुकित किया गया । जिसे यात्रा भत्ता दावों के रूप में अवधि 5/16 से 3/17 तक ₹11478 का भुगतान किया गया। अनुपूरक नियम (यात्रा भत्ता) SR-51(5) (ii) के अनुसार "यात्रा भत्ता उसी अवस्था में देय है जब कोई कर्मचारी/अधिकारी अपने कार्य स्थल से 8 किलोमीटर से बाहर जाए"। नगर परिषद संतोषगढ़ से नगर पंचायत टाहलीवाल की दूरी 5 किलोमीटर है । फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को दैनिकी भत्ता देय नहीं है। अवधि 5/16 से 3/17 तक श्री अनिल कुमार, लिपिक को यात्रा भत्ता दावों (दैनिकी भत्ता 70%) के रूप में किए किया गया भुगतान, गलत भुगतान है। यात्रा भत्तों के रूप में किए गए गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 163 दिनांक 9-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त यात्रा भत्तों के रूप में किए गए गलत भुगतान ₹11478 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्वन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। यात्रा भत्तों के रूप में किए गए गलत भुगतान ₹11478 का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	वाउचर सं0	माह	दैनिकी भत्ता की राशि	विवरण
1	18	5/16	1120	माह 3/16 व 4/16 हेतु
2	47	7/16	896	माह 5/16 हेतु
			896	माह 6/16 हेतु
3	93	9/16	1150	माह 7/16 हेतु
			1232	माह 8/16 हेतु
4	120	10/16	1120	माह 9/16 हेतु
5	139	11/16	896	माह 10/16 हेतु
6	156	12/16	1008	माह 11/16 हेतु
7	172	1/17	1232	माह 12/16 हेतु
8	186	2/17	1038	माह 1/17 हेतु
9	198	3/17	890	माह 2/17 हेतु
		योग	**11478**	

13 श्रीमती सुधा शर्मा सी. ओ. को यात्रा भत्ते के रूप में ₹944 का अधिक भुगतानः-

यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी से बाहर से जाता है तो उसे नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है। जांच के दौरान पाया गया कि श्रीमती सुधा देवी, सी. ओ. को नगर पंचायत गग्रेट से सप्ताह में तीन दिन हेतु नगर पंचायत टाहलीवाल में नियुक्त किया गया। यात्रा भत्ता नियमानुसार उक्त कर्मचारी को तीन दिन की दैनिकी व मुख्यालय से कार्यस्थल तक आने-जाने का किराया ही देय है लेकिन उक्त कर्मचारी द्वारा तीन दिन की दैनिकी व तीन दिन आने व जाने का किराया प्राप्त किया गया। जो कि नियमानुसार देय नहीं है। फलस्वरूप श्रीमती सुधा शर्मा, सी० ओ० को निम्न विवरनानुसार किराए के रूप में ₹944 का अधिक भुगतान किया गया है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	देय यात्रा भत्ता	दिया गया यात्रा भत्ता	अधिक एवम गलत भुगतान
1	23	2/16	1830	2107	277
2	24	11/15	2287	2453	166
3	25	12/15	2062	2292	230
4	26	1/16	490	573	83
5	27	3/16	1340	1528	188
				योग	**944**

उक्त यात्रा भत्ते/किराये के रूप में किया गए गलत भुगतान ₹944 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 164 दिनांक 9-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया । लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त यात्रा भत्ते/किराये के रूप में किए गए अधिक भुगतान ₹944 को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्वन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 (क) गणना में त्रुटि के कारण श्रीमती सुनीता देवी, संविदाकार को ₹0.23 लाख का अधिक एवम गलत भुगतान:-

कार्य का नाम :- P/O street from H/O Kewal to H/O Hermesh ward no – 5 N.P. Tahliwal

संविदाकार का नाम :- श्रीमती सुनीता देवी

अवार्ड पत्र संख्या:- 147-149 दिनांक: 15-10-16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या :- 1 व पृष्ट 97

क्रम सं०	मद सं०	मद का नाम	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अन्तर	दर	राशि	संविदाकार प्रीमियम 30%	अधिक भुगतान
1	7	P/L cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2sand: 3 graded) stone aggregate in foundation & plinth.	1 x 9.30 x (.30+.10)/2 x .10 = 0.186 m3	1.86 m3	1.67 m3				

2	7	P/L cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2 sand: 3 graded) stone aggregate in foundation & plinth.	1x7.25 x (.10+1.10)/2 x .10 = 0.435 m3	4.35 m3	3.92 m3				
				योग =	5.59 m3	3165.90 m3	17697	5309	23006

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्रीमती सुनीता देवी को ₹23006 का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 166 दिनांक 9-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गणना में त्रुटि के कारण श्री वरुण कुमार, संविदाकार को ₹0.40 लाख का अधिक एवम गलत भुगतान:-

कार्य का नाम :- P/O street from H/O Shyam Lal

संविदाकार का नाम :- श्री वरुण कुमार

अवार्ड पत्र संख्या:- 165-167 दिनांक: 15-10-16

प्रविष्टि की तिथि:- 29-12-16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या :- 2 व पृष्ट 4 व 5

क्र0 सं0	मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अन्तर	दर	राशि	संविदाकार प्रीमियम 30%	अधिक भुगतान
1	2	Dressing the ground I/C cutting & filling upto 15 cm depth	422.25 m2	487.44 m2	65.19 m2	36.10 m2/10	253	76	329
2	7	P/L cement concrete 1:6:12 (1 cement: 6 sand: 12 graded) stone aggregate in foundation & plinth.	422.25 m2 x .10= 42.22 m3	487.44 m2 x .10 = 48.74 m3	6.52 m3	1942.50 /m3	12665	3800	16465
3	7	P/L cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2sand: 3 graded) stone aggregate in foundation & plinth.	422.25 x (.075+ .10)/2 = 36.95 m3	487.44 x (.075+ .10)/2 = 42.65 m3	5.70 m3	3165.90 m3	18046	5414	23460
								कुल योग =	**40254**

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्री वरुण कुमार को ``₹40254 का अधिक भुगतान किया गया था । उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 168 दिनांक 9-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए । अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) गणना में त्रुटि के कारण मैसर्ज नवदीप इलेक्ट्रिकल्स एंड सिविल इंजिनियर्स मैहतपुर को ₹0.10 लाख का अधिक भुगतानः-

जांच के दौरान पाया गया कि मैसर्ज नवदीप इलेक्ट्रिकल्स एंड सिविल इंजिनियर्स मैहतपुर को गणना में त्रुटि के कारण निम्न विवरनानुसार` ₹10000 का अधिक भुगतान किया गया है

कार्य का नाम :- Providing street light system in NP Tahliwal.

भुगतान का माह :- फ़रवरी /2017

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :- 2 पृष्ठ-18

कुल किया गया कार्य = ₹540000

कटौती:-

i) प्रतिभूति = 54000

ii) विक्रय कर = 10800

iii) आयकर = 11340

वास्तविक योग = 76140

दर्शाया गया योग = 66140

देय योग्य भुगतान = 463860 (540000-76140)

दिया गया भुगतान = 473860 (540000-66140)

अधिक भुगतान = **10000** (463860-473860)

उपरोक्त उल्लेखित मैसर्ज नवदीप इलेक्ट्रिकल्स एंड सिविल इंजिनियर्स मैहतपुर को गणना में त्रुटि के कारण **₹10000** का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:167 दिनांक 9-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण ₹0.07 लाख की वितीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : PBW (B) -14(8)2004, दिनांक 24-02-2017 के अन्तर्गत ₹10 लाख तक के कार्यों हेतु टेंडर की लागत/बिक्री मूल्य ₹350 निर्धारित किया गया था। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत टेंडर की बिक्री हेतु निर्धारित राशि से कम राशि पर टेंडर बिक्री करने के कारण नगर पंचायत को

₹6750 की हानि हुई। अतः निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री के कारण हुई हानि ₹6750 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए। निर्धारित दर से कम दर पर टेंडर बिक्री करने के कारण ₹6750 की हुई वितीय हानि का विवरण निम्नानुसार है ।

क्रम सं०	कार्य का नाम	टेंडर विक्रय की तिथि	सरकार द्वारा निर्धारित दर (प्रति टेंडर)	बिक्री किए गए टेंडर की दर (प्रति टेंडर)	अन्तर	बिक्री किए गए टेंडरों की संख्या	राशि
1	c/o boundary wall for Campus of nagar panchayat office Tahliwal Tehsil Haroli, Distt Una (H.P.) (front side)	12-04-16	350	200	150	3	450
2	c/o boundary wall for Campus of nagar panchayat office Tahliwal Tehsil Haroli, Distt Una (H.P.) (Back side)	12-04-16	350	200	150	3	450
3	P/L interlocking pavers in the courtyard of nagar panchayat office Tahliwal Tehsil Haroli, Distt Una (H.P.) (Phase-I)	12-04-16	350	200	150	3	450
4	P/L interlocking pavers in the courtyard of nagar panchayat office Tahliwal Tehsil Haroli, Distt Una (H.P.) (Phase-II)	12-04-16	350	200	150	3	450
5	Addition and Alteration of nagar panchayat office Tahliwal Sub Head: C/o Secretary room	12-04-16	350	200	150	3	450
6	Addition and Alteration of nagar panchayat office Tahliwal Sub Head: C/o J.E. Room & Kitchen	12-04-16	350	200	150	3	450
7	Channelization of nalla in mohalla jattan, ward no- 4 Teh. Haroli, Distt Una H.P. (Phase-I)RD 0/90 to RD 0/102	12-04-16	350	200	150	3	450
8	Channelization of nalla in mohalla jattan, ward no- 4 Teh. Haroli, Distt Una H.P. (Phase-I)RD 0/102 to RD 0/114	12-04-16	350	200	150	3	450

9	Channelization of nalla in mohalla jattan, ward no- 4 Teh. Haroli, Distt Una H.P. (Phase-I)RD 0/114 to RD 0/126	12-04-16	350	200	150	3	450
10	Channelization of nalla in mohalla jattan, ward no- 4 Teh. Haroli, Distt Una H.P. (Phase-I)RD 0/126 to RD 0/128	12-04-16	350	200	150	3	450
11	Addition & Alteration of nagar panchayat office Tahliwal Sub Head:-Gypsum hydrous ceiling tiles.	12-04-16	350	200	150	3	450
12	White washing In Nagar panchayat office Tahliwal Teh. Haroli, Distt Una H.P.	12-04-16	350	200	150	3	450
13	Site Development of Gosadan at N.P. Tahliwal, Teh. Haroli, Distt Una H.P.	09-05-16	350	200	150	3	450
14	P/O Street from Yashpal to H/O Amrit Lal, ward no -7, N.P. Tahliwal, Teh. Haroli, Distt Una H.P.	13-05-16	350	200	150	3	450
15	Site Development of Gosadan at N.P. Tahliwal, Teh. Haroli, Distt Una H.P.	13-05-16	350	200	150	3	450
						योग	**6750**

16 तकनीकी स्वीकृति के बिना ₹70.43 लाख के कार्यों को निष्पादन करना :-

शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या: UD-A(3) 5/2007 दिनांक 10-03-2010 के अनुसार ₹3 लाख तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता व 3 लाख से ऊपर तथा 10 लाख तक के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नगर परिषद के सहायक अभियन्ता से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी । जांच के दौरान पाया गया नगर पंचायत टाहलीवाल में वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान 3 लाख से ऊपर के 11 कार्यों को करवाने हेतु ₹7042761 व्यय की गई। लेकिन 3 लाख से ऊपर के 11 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नगर परिषद के सहायक अभियन्ता से प्राप्त नहीं की गई । जो कि अनियमित है । उक्त अनियमितता की प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 165 दिनांक 9-08-2017 के माध्यम से सचिव नगर पंचायत टाहलीवाल के ध्यानार्थ लाया गया । लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान 3 लाख से ऊपर के 11 कार्यों को नगर परिषद के सहायक अभियन्ता की तकनीकी स्वीकृति के बिना करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वर्ष 2016-17 के दौरान 3 लाख से ऊपर के करवाए गए 11 कार्यों पर व्यय की गई ₹7042761 को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित

करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान 3 लाख से ऊपर के 11 कार्यों जिनकी तकनीकी स्वीकृति नगर परिषद के सहायक अभियन्ता से प्राप्त नही की गई का विवरण **परिशिष्ट -(ड.)** पर दिया गया है ।

17 निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की ₹1.67 लाख की कम वसूली करना:-

अवर सचिव (ई एंड टी) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या EXN – F(5) -1/2010 Loose, दिनांक 13-08-2012 के अनुसार श्रेणी "सी" व "डी" संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से 3% की दर से बिक्री कर की कटौती की जानी अपेक्षित थी। जांच के दौरान पाया गया की नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹16651293 का भुगतान ठेकदारों को किया गया, लेकिन "सी" व "डी" श्रेणी के संविदाकारों के बिलों से 3% की बजाए 2% की दर से बिक्री कर की कटौती की गई। फलस्वरूप 1% (3-2) की दर से बिक्री कर की कम कटौती करने के कारण ₹166513 (16651293 x 1%) की कम कटौती की गई है । अतः "सी" व "डी" श्रेणी के संविदाकारों के बिलों से 3% की बजाए 2% की दर से बिक्री कर की कटौती करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त बिक्री कर के रूप में कम की गई कटौती ₹166513 की वसूली उचित स्त्रोत से करके राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। वितीय वर्ष 2016-17 में निर्माण कार्यों का निष्पादन विभिन्न संविदाकारों द्वारा किया गया। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -(च)** पर दिया गया है।

18 निर्माण कार्य बिलों से श्रम कर की ₹1.38 लाख की कटौती न करना:-

नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्य के बिलों से 1% की दर से श्रम कर की ₹138380 की कटौती नहीं की गई है जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 1-2000 (lab) BCWA दिनांक 30-01-2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग श्रम कर के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व (हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सहायता बोर्ड) में जमा करवाया जाना अपेक्षित था । अतः श्रम कर के कटौती न करने के कारणों से अवगत करवाते हुए राशि की उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित विभाग में नियमानुसार जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए। वितीय वर्ष 2016-17 में ₹13837993 के कुल निर्माण/मुरम्मत कार्यों का निष्पादन विभिन्न संविदाकारों द्वारा किया गया । जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट -(छ)** पर दिया गया है।

19 शीर्षबार वर्गीकृत खाताबहियों तैयार न करना :-

जांच के दौरान पाया कि नगर पंचायत द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः आय ₹11186347, 13627108 व वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय ₹18210930.50 किया गया दर्शाया है। लेकिन आय व व्यय की मदवार खाताबहियां तैयार नहीं की गई थी शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकती, कि वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई दर्शाई गई वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया है वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः

शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 **बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-**

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके । अतः वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं । अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

21 **व्ययों को सदन से अनुमोदित न करवाना :-**

नियमानुसार गत माह के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय आगामी माह की बैठक में सदन से अनुमोदित करवाना अनिवार्य था लेकिन नगर पंचायत द्वारा अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक किए व्ययों को सदन से अनुमोदित नहीं करवाया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की अवहेलना है । अतः अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक के दौरान किए गए सम्पूर्ण व्ययों को हाऊस में अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 **सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करना:-**

जांच के दौरान पाया गया की अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है । जबकि अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः अवधि 09-09-2015 से 31-03-2017 तक सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 **टेंडर विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण न करना:-**

जांच के दौरान पाया गया की वितीय वर्ष 2016-17 तक नगर पंचायत टाहलीवाल में करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों जिन हेतु टेण्डर विक्रय किए गए थे, से सम्बन्धित टेंडर विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। जो कि पारदर्शिता नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः तुरन्त प्रभाव व वितीय वर्ष 2016-17 हेतु टेंडर विक्रय रजिस्टर नियमुनासार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

24 **प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:-**

नगर पंचायत टाहलीवाल द्वारा भण्डार मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष नहीं करवाया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टोर व स्टॉक का प्रतिवर्ष/प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । अतः स्टोर व स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

25 **लघु आपति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

26 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(5) 107/2017–खण्ड–1–6995–6996 दिनाँक शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर पंचायत टाहलीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881